राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	259/2020 नन्दलाल / जगदीशप्रसाद	
10/8/20	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधि. अपीलांट उपस्थित। अधिवक्ता केवियटकर्ता उपस्थित। उन्हें नकल उपलब्ध करवाई गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की अपीलार्थी अपने खाते की आराजी ख.न. 1086/1 वाके ग्राम चौमु जिला जयपुर में निर्माण कार्य कर रहा है एवं रेस्पो. संख्या 1 ने अपनी आराजी ख.न. 1090 पर अधीनस्थ न्यायालय से स्टे लेकर उक्त स्टे की आड़ में अपीलार्थी द्वारा अपनी खाते की आराजी पर जो निर्माण किया जा रहा है, पर बाधा उत्पन्न की जा रही है। अपीलार्थी ख.न. 1090 पर कोई निर्माण नही कर रहा है एवं ख. न. 1090 के सन्दर्भ में आदेश जैर अपील की पालना हेतु अपीलार्थी वचनबद्ध एवं बाध्य है। अत: अपीलार्थी को अपने खाते की आराजी ख.न. 1086/1 पर निर्माण किये जाने पर आदेश जैर अपील के माध्यम से कोई बाधा कारित नही किये जाने का आदेश प्रदान करे। अधिवक्ता रेस्पो. ने जवाब बहस में निवेदन किया की रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने खाते की आराजी ख.न. 1090 के सन्दर्भ में प्रकरण प्रस्तुत कर आदेश जैर अपील प्राप्त किया है एवं पड़ोसी खातेदार होने से अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाया गया है। आदेश जैर अपील सही है अत: यथावत रखा जावे। हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस शपथ पत्र प्रस्तुत कर ख.न.1090 वाके ग्राम चौमु पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करने एवं अपीलार्थी द्वारा स्वयं के खाते की आराजी ख.न. 1086/1 स्थित वाके ग्राम चौमु पर निर्माण कार्य किये जाने से वचनवद्ध होना अंकित किया है एवं आदेश जैर अपील की पालना हेतु पाबन्द रहने का भी अंकन किया है इसके अतिरिक्त अधिवक्ता रेस्पो. ने रेस्पो. की खाते की आराजी ख.न. 1090 के सन्दर्भ में ही आदेश जैर अपील पारित होने का निवेदन करते हुये अंकित कराया की ख.न. 1086/1 पर की जाने	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नन्दलाल / जगदीश 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की में जारी
259 2020		

वाली किसी कार्यवाही से रेस्पो. को कोई आपत्ति नही है। ऐसेमें दौराने बहस दोनों पक्ष एक-दुसरे की खाते की आराजी में हस्तक्षेप नही किये जाने के बिंदु पर सहमत है जिससे इस बिन्दु पर अब कोई विवाद शेष नही है एवं चूँकि विचाराधीन प्रकरण एवं उसमे पारित आदेश जैर अपील दिनांक 29/07/2020 प्रश्नगत आराजी ख.न. 1090 वाकै ग्राम चौमु के सन्दर्भ में है ऐसी परिस्थिति में अपीलार्थी अपने खाते की आराजी ख.न. 1086/1 वाकै ग्राम चौमु के उपयोग-उपभोग व निर्माण हेतु स्वतंत्र है जिसमे आदेश जैर अपील दिनांक29/07/2020 के माध्यम से कोई बाधा कारित नही होती है। अत: अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अब ओचित्यहिन हो जाने से ख़ारिज की जाती है।

पत्रावलियां फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/08/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर